कार्यालय, प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबादं ।

सूचना

दिनांक 20.01.2020

जनपद इलाहाबाद में स्थापित पारिवारिक न्यायालयों में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या– 698 / एडमिन जी–1 / 2020, इलाहाबाद दिनांकः 13.01.2020 एवं शासनादेश संख्या–102 / VII- न्याय–2–2015–728 / 86 दिनांक 18.06.2015 के अनुक्रम में परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु सुपात्र व्यक्तियों के आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो उक्त शासनादेश में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगीः–

1– यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहां पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो । यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है ।

2–शैक्षिक अर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि अर्ह व्यक्ति समाज शास्त्र या मनोविज्ञान से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो । इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्रीधारक है और पारिवारिक काउंसिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है उन्हे वरीयता दी जायेगी ।

3– विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

4–आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी ।

5–राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा ।

6–परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी । राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी ।

7–परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ से तीन वर्ष का होगा । उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर तीन वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है ।

8–परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और ये न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे ।

जो व्यक्ति उपरोक्त अर्हताओं को पूरा करते हों और पारिवारिक न्यायालय इलाहाबाद परामर्शदाता के पद पर कार्य करने के इच्छुक हों वे अपना आवेदनपत्र दिनांक 28.01.2020 तक प्रधान पारिवारिक न्यायालय, इलाहाबाद के

कार्यालय में आवश्यक विवरण शैक्षिक योग्यता, अनुभव, पहचान, निवास से सम्बन्धित प्रमाणपत्रों एवं रंगीन नवीनतम फोटों को स्वतः प्रमाणित कर दो प्रतियों में प्रत्येक कार्यदिवस को अपरान्ह 3.00 बजे से 4.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदन–पत्र में आवश्यक सभी विवरण आवेदक के स्वहस्तलेख या टाईपशुदा हो ।

अंतिम तिथि अर्थात 28.01.2020 के पश्चात कोई भी आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

20.1.2020

प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय
इलाहाबाद ।

उपरोक्त सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय के वेबसाई पर दिया जाए ।